छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा चतुर्थ सत्र अंक-02

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024

(अग्रहायण 26, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05 व 06 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 82 तारांकित एवं 87 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

(तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

3. सदन को सूचना

रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन

मानननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज भोजन अवकाश के तुरंत पश्चात् रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विधान सभा के विगत 24 वर्षों के महत्वपूर्ण अवसरों से संबंधित छायाचित्र की प्रदर्शनी का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की उपस्थिति में किया जाएगा। अत: उक्त अवसर पर आप सभी सदस्य, पत्रकारगण सादर आमंत्रित हैं।

4. पृच्छा

माननीय डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा "छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के साथ करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी तथा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा वित्तीय मनमानी" संबंधित विषय पर स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा कराये जाने की मांग की।

इस संबंध में माननीय सदस्य सर्वश्री कवासी लखमा, ब्यास कश्यप, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, कुंवर सिंह निषाद, उमेश पटेल, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती चातुरी नंद, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती अंबिका मरकाम एवं श्री ओंकार साहू द्वारा भी विचार व्यक्त किये गये।

5. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने तत्संबंध में व्यवस्था दी कि "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के साथ करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी तथा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा वित्तीय मनमानी" से संबंधित डॉ. चरण दास महंत एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के संबंध में मैंने प्रतिपक्ष के सदस्यों के विचारों को सुना।

इसी विषय से संबंधित माननीय सदस्यों की ध्यानाकर्षण की सूचनायें मुझे पूर्व में प्राप्त हो चुकी हैं, जिन्हें मैंने ग्राह्य किया है। आज वित्तीय कार्य भी होना है, जिसमें समस्त सदस्यों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।

विचारोपरांत मैंने प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राह्य कर दिया है।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 503/एफ 3 (2)/48/सं.का./2020, दिनांक 01 अक्टूबर, 2024,

(2) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियिम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023),

(3) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान 2024-2025 के संदर्भ में प्रथम तथा द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा

पटल पर रखे।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य ने प्रदेश के निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना की राशि जमा नहीं किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

(2) श्री अनुज शर्मा, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र धरसींवा में अवैध प्लॉटिंग किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

8. अध्यक्षीय निर्देश

ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 02 पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने माननीय राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा को निर्देशित किया कि विधान सभा आवासीय कालोनी से लगी हुई शासकीय भूमि पर भी अवैध अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई है।

एक माह के भीतर इन अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही कर शासकीय भूमि को इनके कब्जे से मुक्त करा कर इसकी सूचना विधान सभा को भी देना सुनिश्चित करें।

9. नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्री गुरू खुशवंत साहेब
3. श्री ललित चन्द्राकर
4. श्री भोलाराम साहू
5. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अजय चन्द्राकर, सभापति, प्राक्कलन समिति ने प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री अमर अग्रवाल, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्ठम, दशम् एवं एकादश प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

मानननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती भावना बोहरा

(2) श्री कुंवर सिंह निषाद

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर -

1. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024)
2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024)
3. छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024)
4. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024)
5. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024)
6. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024)

को सत्र की अल्प अवधि एवं विधेयकों की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए पुर:स्थापन की अनुमति प्रदान की है।

मैं, समझता हूँ सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) <u>छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024)</u>

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) पुर:स्थापित किया।

(2) <u>छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024)</u>

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) पुर:स्थापित किया।

(3) <u>छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024)</u>

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) पुर:स्थापित किया।

(4) <u>छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024)</u>

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) के पुर: स्थापन की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने विधेयक के पुर:स्थापन की अनुमति के प्रस्ताव पर आपत्ति लेते हुए कथन किया कि संविधान के 73वां, 74वां संशोधन अनुसार नगरीय निकायों के कार्यकाल को 05 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, परंतु प्रस्तुत संशोधन विधेयक में नगरीय निकायों के कार्यकाल को 06 महीना बढ़ाये जाने का प्रावधान किया गया है, जो संविधान विरूद्ध है। अत: उक्त प्रस्तुत संशोधन विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए।

तत्संबंध में माननीय श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) ने वस्तुस्थिति स्पष्ट की एवं सभा को अवगत कराया कि हम कार्यकाल या कार्यावधि नहीं बढ़ा रहे

हैं। यदि विशेष परिस्थिति में चुनाव नहीं हो पाये तो उन परिस्थितियों के लिए यह प्रावधान प्रस्तावित है। इससे संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है।

पुर:स्थापन की अनुमति प्रदान की गई।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) पुर:स्थापित किया।

(5) **छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024)**

श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) पुर:स्थापित किया।

(6) **छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024)**

श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) पुर:स्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित किया।

मैं, समझता हूँ सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

13. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

मानननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। परम्परानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं, माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने राज्पाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 41, 44, 53, 55, 56, 64, 65, 67, 68, 71, 80, 81, 82, एवं 83 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **आठ सौ पांच करोड़, इकहत्तर लाख, चौहत्तर हजार, दो सौ छियासी रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री उमेश पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(1.30 बजे से 3.00 बजे तक भोजनावकाश हेतु अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

14. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री कवासी लखमा, सुश्री लता उसेण्डी, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, धरम लाल कौशिक,

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्य सूची में शामिल कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री धर्मजीत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, सुनील सोनी, कुंवर सिंह निषाद, राजेश मूणत.

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर शेष चर्चा दिनांक 19.12.2024 को भी होगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपनी बात रखी जाएगी, उसके पश्चात् वित्त मंत्री जी जवाब देंगे।

रात्रि 7:23 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 28, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा